

न्यायालय: सिविल जज (सी०डि०) आजमगढ़।

मूलवाद संख्या- 314/2022

सुनील यादव बनाम दरख्शा अख्तर

दिनांक-12.02.2025

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गयी। बार-बार पुकार कराने पर भी उभयपक्ष और उनके विद्वान् अधिवक्ता अनुपस्थित रहें। ऐसा प्रतीत होता है कि उभयपक्ष वाद संचालन में रुचि नहीं ले रहे हैं। अतः प्रस्तुत वाद उभयपक्ष की अनुपस्थिति में खारिज किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

सिविल जज (सी०डि०)

आजमगढ़।